भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 218
जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को दिया जाएगा

शिशु उत्पादों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन मानदंड

218 श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) माइक्रोप्लास्टिक्स, अंत:स्रावी-विघटनकारी फ़ेथलेट्स और वैकल्पिक बिस्फेनॉल एनालॉग्स के संपर्क को समाप्त करने के लिए भोजन के बर्तनों, सिलिकॉन टीथर और खिलौनों सहित सभी गैर-खाद्य रोजमर्रा के शिशु उत्पादों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन मानदंडों को उन्नत करने की योजना बना रहा है; और

(ख) क्या सरकार नियमित घरेलू ताप जोखिम या मानक स्टेरलाइजेशन (कीटाणु/जीवाणु शोधन) प्रक्रियाओं के अधीन सिंथेटिक सामग्री वाले शिशु उत्पादों से माइक्रोप्लास्टिक निकलने की दर का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षणशाला के अंतर्गत विशेष परीक्षण नयाचारों की स्थापना पर विचार कर रही है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली तकनीकी समितियों के माध्यम से भारतीय मानक तैयार करता है और उनकी समीक्षा करता है। भारतीय मानक, सुरक्षा, गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों, तकनीकी विकास, संबंधित विनियामक आवश्यकताओं, अंतरराष्ट्रीय मानकों और हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार और समीक्षा किए जाते हैं।

भारतीय मानकों/मसौदा भारतीय मानकों में बच्चों के दैनिक प्रयोग वाले गैर-खाद्य आवश्यक उत्पादों के लिए, जैसा लागू हो, थैलेट्स और बिस्फेनॉल यौगिकों से संबंधित सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं शामिल होती हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i) आईएस 14625: 2015 'प्लास्टिक की फीडिंग बोतलें – विनिर्देशों' में निर्दिष्ट है कि उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री में बिस्फेनॉल ए (बीपीए) नहीं होना चाहिए। यह मानक, एफएसएसएआई (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2018 में संशोधन के अनुरूप संबंधित प्रावधानों के अनुसार, थैलिक एसिड अर्थात बीआईएस(2-एथाइलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी) सहित विषैले पदार्थों के लिए 'विशिष्ट माइग्रेशन सीमाएं' भी निर्धारित करता है।

ii) 'बच्चों के उपयोग के लिए प्लास्टिक के भोजन और पेय कंटेनर, सहायक उपकरण और कटलरी – विनिर्देश' पर मसौदा भारतीय मानक में विनिर्माण सामग्री में बीपीए के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है और उसी तरह थैलिक एसिड, अर्थात बीआईएस(2-एथाइलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी) के लिए 'विशिष्ट माइग्रेशन सीमाएं' निर्दिष्ट करता है।

iii) "बच्चों के लिए सूदर और पैसिफायर – विनिर्देश" पर मसौदा भारतीय मानक में विनिर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री में बीपीए के प्रयोग पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है।

iv) आईएस 9873 (भाग 9): 2017, 'खिलौनों की सुरक्षा — खिलौनों एवं बच्चों के उत्पादों में कुछ थैलेट एस्टर' में निम्नलिखित थैलेट एस्टरों के लिए सुरक्षित सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा प्रकाशित संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं:

- डाई-एन-ब्यूटाइल थैलेट (डीबीपी)
- बेंजाइल ब्यूटाइल थैलेट (बीबीपी)
- बीआईएस-(2-एथिलहेक्सिल) थैलेट (डीईएचपी)
- डाई-एन-ऑक्टाइल थैलेट (डीएनओपी)
- डाई-आइसो-नोनिल थैलेट (डीआईएनपी)
- डाई-आइसो-डेसिल थैलेट (डीआईडीपी)

इन मानकों/मसौदा मानकों में माइक्रोप्लास्टिक्स, एंडोक्राइन-डिसरप्टिंग थैलेट्स या बिस्फेनॉल एस (बीपीएस) और बिस्फेनॉल एफ (बीपीएफ) जैसे वैकल्पिक बिस्फेनॉल एनालॉग्स के संबंध में कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं प्रस्तावित नहीं हैं।

(ख): जी, नहीं।
